न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] बनाम [illegible]

[illegible] 97/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
28.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग मे हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28-03-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28.3.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग मे हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17-4-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17-04-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08-05-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
8.5.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26.5.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 757/भू.अ./2025 दिनांक 06.03.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीया ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर बहस वकील प्रार्थीया एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 30.05.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
97 / 2023	2023 / 806	03.07.2023	30.05.2025

उनवान प्रकरण

कृष्ण शेखावत पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत जाति राजपूत उम्र 21 साल निवासी दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हाल प्लाट नम्बर 1, देवीनगर , रावण गेट, हरनाथपुरा, जयपुर

––प्रार्थीया––

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

––अप्रार्थी––

उपस्थितः–

श्री कमलेश कुमार शर्मा प्रथम, एड0 प्रार्थीया अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती रिकार्ड अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि खाता संख्या नये 967 के कृषि भूमि खसरा ... 3853, 3864 कुल किता 2 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रकबा 4.45 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी 1/72 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीया के नाम से अंकित है। उक्त भूमियों की खातेदारी में प्रार्थीया का नाम नाबालिग प्रियंका पुत्री जसवन्तसिंह संरक्षक माता संरक्षक उम्मेदकँवर गलत दर्ज है। भूमि खाता संख्या नये 968 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1228, 1230, 1233, 1485 कुल किता 4 कुल रकबा 1.59 हैक्टर तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी 7/384 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीयॉ के नाम से अंकित है। उक्त भूमियों की खातेदारी में प्रार्थीया का नाम नाबालिग प्रियंका पुत्री जसवन्तसिंह संरक्षक माता संरक्षक उम्मेदकँवर गलत दर्ज है। भूमि खाता संख्या नये 456 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 182, 183 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी 1/72 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीया के नाम अंकित है। उक्त भूमियों की खातेदारी में प्रार्थीया का नाम कृष्णा पुत्री जसवन्तसिंह गलत दर्ज है। उक्त भूमियों में प्रार्थीया जब नाबालिग थी तब उसका घरेलू बोलता नाम राजस्व कर्मचारियों ने अंकित कर लिया। अब प्रार्थीया बालिग हो चुकी है तथा प्रार्थीया के समस्त शैक्षणिक रिकार्ड एंव अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम कृष्ण शेखावत पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत अंकित है तथा यही नाम उक्त भूमियों में अंकित होना चाहिए जबकि प्रार्थीया का नाम नाबालिग प्रियंका पुत्री जसवन्त सिंह सरंक्षक माता सरंक्षक उम्मेदकँवर अंकित हो गया तथा उक्त भूमियों में कृष्णा पुत्री जसवन्तसिंह दर्ज हो गया। जबकि सही नाम कृष्ण शेखावत पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत अंकित होना चाहिए। प्रार्थीया का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स एंव शिक्षा के शैक्षणिक दस्तावेजात् में भी प्रार्थीया का नाम कृष्ण पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत ही अंकित है जो कि सही एंव सत्य है। प्रार्थीया को कृष्ण शेखावत पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत के रूप में ही जाना एंव पहिचाना जाता है। प्रार्थीया अब बालिग हो चुकी है तथा अब राजस्व कर्मचारियों से अपना नाम सही अंकित कराने के लिए निवेदन किया तो उन्होनें न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा। इसलिए प्रार्थीया को न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सही अंकित नहीं होने से प्रार्थीया को सख्त हकतल्फी है एंव राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से महरूम हो रही है। प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सही अंकित करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने की कानूनन अधिकारी है तथा तदनुसार दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम संशोधित न्यायोचित एवं आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3853, 3864 कुल किता 2 कुल रकबा 4.45 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1228, 1230, 1233, 1485 कुल किता–4 कुल रकबा 1.5900 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड से प्रार्थीया का नाम नाबालिग प्रियंका पुत्री जसवन्तसिंह संरक्षक माता संरक्षक उम्मेद कँवर की जगह कृष्ण शेखावत पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत सही संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान करें इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 182, 183 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम कृष्णा पुत्री जसवन्त सिंह की जगह कृष्ण शेखावत पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत सही संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट में पेश किया है।

इस पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का पेश करने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की नोटिस तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साक्ष्य गवाह में प्रार्थीया का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट लिये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जरिये पत्रांक क्रमांक 121/रीडर/25 दिनांक 16.01.2025 को [illegible] किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 757/[illegible] दिनांक 06.03.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजस्व ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 3853, 3864 कुल किता 2 कुल रकबा 4.45 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1228, 1230, 1233, 1485 कुल किता–4 कुल रकबा 1.59 हैक्टर में प्रार्थी का नाम नामान्तकरण संख्या 976 विरासत से नाबालिग प्रियंका पुत्री जसवन्त सिंह सरंक्षक माता उम्मेद कँवर जाति राजपूत दर्ज हुआ है। प्रार्थीया कृष्ण शेखावत पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत जाति राजपूत के नाम से अन्य कोई व्यक्ति राजस्व ग्राम दिवराला में नहीं है। प्रार्थी कृष्ण शेखावत पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत व नाबालिग प्रियंका पुत्री जसवन्त सिंह सरंक्षक माता उम्मेद कँवर उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होने बावत तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अभिशंषा की गई है।

वकील प्रार्थीया ने प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीया की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की तीन जमाबन्दियॉ, आधार कार्ड की प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति, ड्राईविंग लाईसेन्स की फोटोप्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा जारी माध्यमिक परीक्षा 2015 व उच्च माध्यमिक परीक्षा 2017 की प्रमाण पत्र अंकतालिका सहित की फोटोप्रति, रिपोर्ट पटवारी हल्का दिवराला व अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3853, 3864 कुल किता 2 कुल रकबा 4.45 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1228, 1230, 1233, 1485 [illegible]ता–4 कुल रकबा 1.5900 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्री[illegible] रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम नाबालिग प्रियंका पुत्री जसवन्तसिंह सरंक्षक माता [illegible]क्षक उम्मेद कँवर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 182, 183 कुल किता 2 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 169 हैक्टर तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम कृष्णा पुत्री जसवन्त सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जबकि प्रार्थीया के विद्यालय के शैक्षणिक दस्तावेजात मे, ड्राईविंग लाईसेन्स मे, आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड इत्यादि मे नाम कृष्ण शेखावत पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थीया का उक्त नाम खातेदारी में जरिये विरासतन नामान्तकरण संख्या 976 के द्वारा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा कृष्ण शेखावत पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत व नाबालिग प्रियंका पुत्री जसवन्त सिंह सरक्षक माता उम्मेद कँवर दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना तथा प्रियंका पुत्री जसवन्त सिंह नाम व वल्दियत का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम दिवराला में नहीं होने बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है। पटवारी हल्का दिवराला व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट से भी प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। उक्त राजस्व रिकार्ड में हुई अशुद्धि को शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में की है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की प्राप्त अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा तन राजस्व ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3853, 3864 कुल किता 2 कुल रकबा 4.45 हैक्टर व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

13-7-23

कृषि भूमि खसरा नम्बर 1228, 1230, 1233, 1485 कुल किता–4 कुल रकबा 1.5900 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड से प्रार्थीया का नाम नाबालिग प्रियंका पुत्री जसवन्तसिंह संरक्षक माता उम्मेद कँवर की जगह कृष्ण शेखावत उर्फ प्रियंका पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत व कृषि भूमि खसरा नम्बर 182, 183 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69 हैक्टर तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम कृष्णा पुत्री जसवन्त सिंह की जगह कृष्ण शेखावत उर्फ प्रियंका पुत्री जसवन्त सिंह शेखावत वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में शुद्ध कर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested